

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 04.06.2020

दिना-पत्र संख्या :-39/2020

CMS NO:- 2020/00086

देवासीन अधिकारी :-शशोराम (आर.ए.एस.)

नारायण पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-प्रार्थी-

बनाम

1. फौरक्या उर्फ रामप्रसाद पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरिया खेडा हाल निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. लटूर पुत्र कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. गोपी बाई पत्नी कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
4. सरोज पुत्री कजोड पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
5. खानी पुत्री कजोड पत्नी घनश्याम जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
6. मन्जू पुत्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
7. लाड पुत्री कजोड पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
8. ममता पुत्री कजोड पत्नी उम्मेद जाति गुर्जर हाल निवासी भगतसिंह चौराहा, नैनवाँ जिला बून्दी।
9. शोजी पुत्र धूला जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
10. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जर्ज्य तहसीलदार साहब नैनवाँ जिला बून्दी।
11. सिंचाई विभाग द्वारा श्रीयुत सहायक अभियन्ता महोदय सिंचाई उपखण्ड नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-अप्रार्थीगण-

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवाँ में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 55 के खसरा संख्या 276 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 277 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 880/278 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5-6 वर्ष पूर्व कय कर कब्जा प्राप्त किया था। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवाँ में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवाँ में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवाँ में राजकीय चारागाह की भूमि खसरा संख्या 260 रकबा 3


उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ जिला  
Page 283

Reader/Decesion/2021

07 बिस्वा, खसरा संख्या 282 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 283 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भाण्डेडा में ही गै0 मु0 धौमा खसरा संख्या 271 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 280 रकबा 15 बिस्वा राजस्व सिबॉर्ड में सिंचाई विभाग अप्रार्थी संख्या 11 के खातेदारी में दर्ज है। यह कि ग्राम भाण्डेडा पटवार भाण्डेडा सादेडा तहसील नैनवा में अप्रार्थी संख्या 9 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लिखित भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 236 में होकर खसरा संख्या 280 चारागाह में होकर खसरा संख्या 283 की दक्षिणी मंड पर होकर खसरा संख्या 264 व 265 के बीच की मंड पर होता हुआ खसरा संख्या 270 व 264 की दक्षिणी मंड पर होकर उत्तर की तरफ मुड़कर खसरा संख्या 270 की उत्तरी मंड के सहारे सहारे होता हुआ धौमा खसरा संख्या 270 में होकर खसरा संख्या 272 व 279 के बीच की मंड पर होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 277, 278 में पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट क में लाल लाइनों के माध्य दर्शाया है। यह कि अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में उल्लिखित चारागाह भूमि खसरा संख्या 260, 263 व 262 पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लोहे का गेट लगाकर बलपूर्वक रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को रास्ता दिया न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सिंचाई विभाग की भूमि खसरा संख्या 271 व 280 गै0 मु0 नहरी जल संसाधन हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसे नियमानुसार रास्ते की भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है लोहे का गेट स्वयं की जमीन पर फसलों को जानवरों से बचाने के लिए लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जवाब प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ख में लाल स्याही से प्रदर्शित दूसरा रास्ता स्वयं प्रार्थी के लिए आसान व कम दूरी का रास्ता है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 260, 263, 265, 264, 269, 920/270, 270, 280, 279 व 278 की भूमि उपयोग में आवेगी। यह कि खसरा संख्या 260 चारागाह रकबा 3 बिघा 07 बिस्वा में से (रकबा 528 फीट • 132 फीट = 6969.60 वर्गफीट व 52.8 फीट • 6.6 फीट = 348.48 वर्गफीट) अर्थात् 7318.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 263 चारागाह रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 132 फीट • 6.6 फीट = 871.2 वर्गफीट, खसरा संख्या 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 224.4 फीट • 6.6 फीट = 1481.04 वर्गफीट, खसरा संख्या 264 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में से रकबा 257.4 फीट • 6.6 फीट = 1698.84 वर्गफीट, खसरा संख्या 269 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 46.2 फीट • 6.6 फीट = 304.92 वर्गफीट, खसरा संख्या 920/270 रकबा 07 बिस्वा में से रकबा 59.4 फीट • 13.2 फीट = 784.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा में से रकबा 171.6 फीट • 13.2 फीट = 2265.12 वर्गफीट, खसरा संख्या 280 गै0 मु0 नहरी रकबा 15 बिस्वा में से रकबा 19.8 फीट • 13.2 फीट = 261.36 वर्गफीट, खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1.65 फीट • 13.2 फीट = 21.78 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 151.8 फीट • 13.2 फीट = 2003.76 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 260 चारागाह है। चारागाह के पास प्रार्थी के खाते की कोई भूमि नहीं है। खसरा संख्या 312 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता दर्ज है जो खसरा संख्या 395 रकबा 06 बिस्वा दर्ज रास्ते से नहीं मिलता है। बीच में खाते के खेत है एवं खसरा संख्या 312 प्रार्थी के खेत से नहीं मिलता है, बीच में खेत है। दोनो टुकड़ों की लम्बाई लगभग 86 गज है।



रा संख्या 260 की पश्चिमी मेड पर ग्रेवल रोड बना हुआ है जिसे नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट सीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप कोर्ट सादेडा में हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम भण्डेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 55 के खसरा संख्या 276 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 7 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 880/278 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 घा 16 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 4.4 फीट • 6.6 फीट = 1481.04 वर्गफीट, खसरा संख्या 264 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में से रकबा 7.4 फीट • 6.6 फीट = 1698.84 वर्गफीट, खसरा संख्या 269 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 6.2 फीट • 6.6 फीट = 304.92 वर्गफीट, खसरा संख्या 920/270 रकबा 07 बिस्वा में से रकबा 59.4 फीट • 13.2 फीट = 784.08 वर्गफीट, खसरा संख्या 270 रकबा 13 बिस्वा में से रकबा 171.6 फीट • 13.2 फीट = 2265.12 वर्गफीट, खसरा संख्या 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1.65 फीट • 13.2 फीट = 21.78 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 278 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 151.8 फीट • 13.2 फीट = 2003.76 वर्गफीट भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Lufc 14*  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवा (कृषि)